श्री बशिष्ट सिंह, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा से प्राप्त अतारांकित प्रश्न संख्या- 18/2/4053 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:-	
1. क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला अंतर्गत इन्द्रपुरी जलाशय के निर्माण हेतु वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री द्वारा निरीक्षण के दौरान परियोजना हेतु डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया गया था परन्तु अभी तक इस परियोजना का डीपीआर नहीं बना हैं,	वस्तुस्थिति यह है कि:- • खरीफ अवधि-2025 में सोन नहर प्रणाली के अंतिम छोर तक जलश्राव प्रवाहित करते हुए सिंचाई सुविधा उपलब करायी गई है। • रिहन्द जलाशय एवं बाणसागर जलाशय से जलापूर्ति प्राप्त कर नहर प्रणालियों में किसानों के मांग के अनुरूप आवश्यकतानुसार जलश्राव प्रवाहित कराकर सिंचाई सुविधा मुहैया कराई जाती है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त जलाशय के निर्माण से दक्षिण बिहार के रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद एवं पटना जिले के किसानों की औसत से कम वर्षा होने की स्थिति में इन्द्रपूरी बांध से उपरोक्त जिलों के किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण कृषि कार्य प्रभावित होता है,	• इन्द्रपुरी जलाशय योजना के निर्माण संबंधी प्रारंभिक योजना प्रतिवेदन (पी॰पी॰आर॰) केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार को समर्पित है। हालांकि झारखण्ड राज्य से अंतर्राज्यीय सहमति के आभाव में योजना के पी॰पी॰आर॰ की स्वीकृति अभी तक नहीं मिल पायी है। अंतर्राज्यीय मामला निहित होने के कारण उक्त योजना के पी॰पी॰आर॰ पर झारखण्ड सरकार द्वारा सहमति दिए जाने के पूर्व सोन नदी जल बंटवारे का समाधान किया जाना अपेक्षित है। • उल्लेखनीय है कि दिनांक-10.07.2025 को राँची में संपन्न पूर्वी क्षेत्रीय परिषद (EZC) की 27वीं बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में बिहार-झारखण्ड के बीच सोन नदी जल के बंटवारे पर सहमति बनी है।
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन्द्रपूरी जलाशय का निर्माण कराने का विचार रखती है, हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?	• उपर्युक्त सहमति को औपचारिक रूप देने हेतु जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक Draft Agreement तैयार कर दोनों राज्यों को प्रेषित किया गया है। दोनों राज्यों के बीच एकरारनामा के हस्ताक्षरोपरान्त इन्द्रपुरी जलाशय के निर्माण संबंधी अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इन्द्रपुरी जलाशय परियोजना की स्वीकृति प्राथमिकता में है। प्रारंभिक योजना प्रतिवेदन (PPR) की स्वीकृति के उपरान्त विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार कर केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली से स्वीकृति प्राप्त करते हुए इस योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा।

1/4/26 AE   01/04/26 EE   SE   EDC

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :– 26 / वि0स0–02–31 / 2026 पटना / दिनांक :.....

प्रतिलिपिः– उप सचिव (प्रश्न विविध), बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को अतारांकित प्रश्न सं0–18 / 2 / 4053 का अनुमोदित उत्तर प्रतिवेदन पाँच प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26 / वि0स0–02–31 / 2026 पटना / दिनांक :.....

प्रतिलिपिः– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26 / वि0स0–02–31 / 2026 पटना / दिनांक :.....

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियंता, यो0 एवं मो0 अंचल–03, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26 / वि0स0–02–31 / 2026 1944 पटना / दिनांक : 13/4/26

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रभारी प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं कार्यपालक अभियंता, आई0टी0 सेन्टर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/4/26
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव